राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– **2057/2024**

डॉ. मनोज कुमार सोनी

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवायलय, राजस्थान, जयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, एसएमएस मेडिकल कॉलेज एवं संलग्न चिकित्सालय, जयपुर राजस्थान।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश दिनांक :– 26.06.2024

समक्ष :– **अनन्त भंडारी ,सदस्य(न्यायिक)**
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता श्री तनवीर अहमद उपस्थित।
2. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की अपीलार्थी की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
3. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी सह आचार्य (Anaesthesia) के पद पर एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी का आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा मेडिकल कॉलेज, बीकानेर में स्थानान्तरण किया गया है। उक्त आदेश की अनुपालना में कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 08.06.2024 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर में दिनांक 10.08.2023 को किया गया था। अपीलार्थी का स्थानांतरण आलोच्य आदेश से अल्प अवधि में मेडिकल कॉलेज, बीकानेर कर दिया गया है, जो उचित नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि वर्ष 2020 के पश्चात अपीलार्थी का 6 बार स्थानांतरण किया गया है। ऐसे में अपीलार्थी का अल्प अवधि में बार–बार स्थानांतरण किये जाने से अपीलार्थी को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अपीलार्थी का यह भी कथन है कि अपीलार्थी के पास 4 पीजी के विद्यार्थी अध्ययनरत है। अपीलार्थी के स्थानांतरण से अपीलार्थी के पास

अध्ययनरत पीजी के विद्यार्थीयों को पाठ्यक्रम में कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा। अपीलार्थी की पत्नी राजकीय सेवा में हिण्डोन में कार्यरत है। अपीलार्थी को बीकानेर पदस्थापित किये जाने पर अपीलार्थी अपनी पत्नी से काफी दूर पदस्थापित हो जायेगा, जिससे अपीलार्थी को पारिवारिक समस्याओं का काफी सामना करना पड़ेगा।

4. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।
5. हम यह नहीं पाते है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण किये जाने पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत पीजी विद्यार्थियों के अधीन अध्यापन में कोई विपरीत असर पडेगा। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है वह अपने कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करे और विवेक के प्रयोग से अगर नियोक्ता द्वारा किसी भी कार्मिक का स्थानान्तरण किया जाता है तो उस आदेश में तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है, जब वह आदेश विधि विरूद्ध या दुर्भावनापूर्वक पारित किया गया हो। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश में हम कोई विधि विरूद्धता एवं दुर्भावना होना नहीं पाते हैं।
6. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)